

25.9.19 पक्षकारान के आधेवक्तापण उपस्थिते। मूल निगरानी
प्रकरण में आप निर्णय पारित हो चुका है,
लिहाजा यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।
से खारिज किया जाता है। पत्रसली फ़ैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ़तर हो।

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)